सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

नागरिक सुरक्षा विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन
2025-26

सत्यमेव जयते

नागरिक सुरक्षा निदेशालय

राजस्थान, जयपुर

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2025–26

भाग–1

1. प्रस्तावना :

अक्टूबर 1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण जान व माल का भारी नुकसान को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु अधिसूचना जारी की गयी। भारत सरकार द्वारा देश में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने की अधिसूचना जारी किये जाने के उपरान्त, राजस्थान सरकार द्वारा भी 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के हवाई हमले (बाहरी आक्रमण) से प्रभावित होने वाले 12 सीमावर्ती नगरों में नागरिक सुरक्षा इकाईयॉ स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा वर्ष 1965 एवं वर्ष 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, प्रभावी खोज एवं बचाव कार्यों के माध्यम से राज्य में जान– माल के नुकसान को कम करने में सराहनीय सहयोग दिया गया। वर्ष–2001 में गुजरात भूकम्प व वर्ष 2004 में देश के दक्षिणी राज्यों में आई सुनामी से देश में हुई जान–माल की क्षति तथा प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लागू किया गया।

नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों को हवाई हमले के साथ–साथ आपदा/विपदाओं की स्थिति में सदुपयोग किये जाने के लिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष–2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम–1968 में आंशिक संशोधन करते हुए, नागरिक सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबन्धन की भी अहम जिम्मेदारी दी गयी।

राज्य सरकार ने दिनांक 27 जुलाई–2015 को नागरिक सुरक्षा विभाग को गृह रक्षा विभाग से पृथक कर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन किये जाने की अधिसूचना जारी की। वर्ष–2017 में राज्य के 33 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया, जिससे वर्तमान में जिलों में नागरिक सुरक्षा का कार्य क्षेत्र नगरीय सीमा के स्थान पर सम्पूर्ण जिला हो गया है।

2. <u>नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य</u> –

1. नागरिक सुरक्षा विभाग का उद्देश्य **''नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा''** करना है।
2. जिलो मे आपातकालीन एवं आपदा की परिस्थिति मे कार्य करने के लिए नागरिक को प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक नामांकित किया जाना।
3. स्वयंसेवकों द्वारा घटना/दुर्घटना की स्थिति मे 1st रेस्पोण्डर के रूप मे कार्य करना।
4. नागरिक सुरक्षा की 12 सेवाओं की गतिविद्धियों का संचालन करना।
5. राज्य मे जान–माल की क्षति को न्यून करना।

राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान–माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य ''**नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा**'' करना है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरूषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक नामांकित किया जाता है।

3. वर्तमान में राज्य में 33 क्रियाशील नागरिक सुरक्षा जिलों की कैटेगरी वाईज सूची निम्नानुसार है :–

(अ) केटेगरी–I – 02 जिले

(ब) केटेगरी–II – 14 जिले

(स) केटेगरी–III – 17 जिले

क्र.सं.	(अ) कैटेगरी–I	(ब) कैटेगरी–II	(स) कैटेगरी–III
1.	चित्तौडगढ	अजमेर	बांसवाड़ा
2.	कोटा	अलवर	बांरा
3.		जयपुर	भीलवाड़ा
4.		जोधपुर	चुरू
5.		बाड़मेर	दौसा
6.		बीकानेर	धौलपुर
7.		भरतपुर	डूंगरपुर
8.		जैसलमेर	जालौर
9.		श्रीगंगानगर	झालावाड़
10.		सिरोही	झुंझुनू
11.		बूंदी	करौली
12.		हनुमानगढ़	नागौर

13.		उदयपुर	पाली
14.		सीकर	प्रतापगढ
15.			राजसमंद
16.			सवाईमाधोपुर
17.			टोंक
योग	**02**	**14**	**17**

नोट : कैटेगरी–I व II हवाई हमले के मध्य नजर एवं कैटेगरी–III आपदा प्रबन्धन के मध्य नजर नागरिक सुरक्षा जिला/नगर घोषित है।

4. **नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण निम्नानुसार है :–**

1. निदेशालय नागरिक सुरक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. अग्निशमन सेवा, केन्द्र (राज्य के 12 जिलों में 13 केन्द्र)
3. नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
4. नागरिक सुरक्षा कार्यालय (राज्य के 33 जिलों में)

(क) **निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान जयपुर** – नागरिक सुरक्षा विभाग का प्रशासनिक नियन्त्रण ''**आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान**'' के अधीन है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम–1968, सामान्य सिद्धान्त नागरिक सुरक्षा–2003 एवं नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम–2011 के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार अधिकारियों/कार्मिकों के आवश्यक पद स्वीकृत हैं, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण निम्नानुसार है :–

निदेशालय नागरिक सुरक्षा, राजस्थान जयपुर संगठनात्मक ढांचा

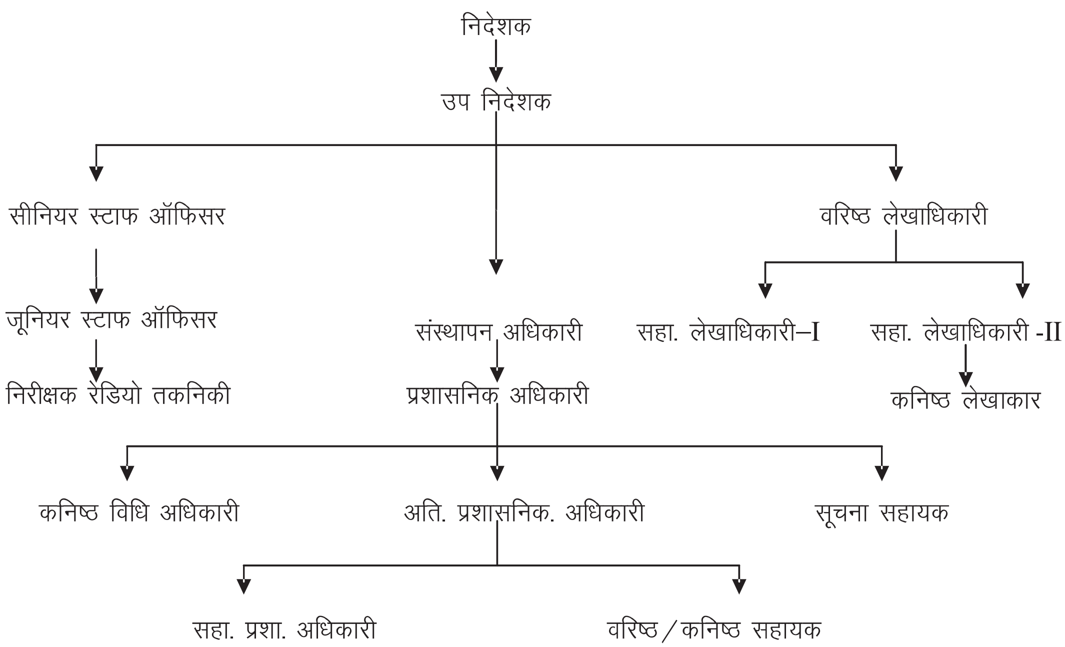

(ख) **नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर**– भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में राज्य को राज्यस्तरीय ''**नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान**'' बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त प्रशिक्षण संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण, निदेशक नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में शासन उप सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास पदेन निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। उक्त संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम–1968, सामान्य सिद्धान्त नागरिक सुरक्षा–2003 एवं नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम–2011 के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार अधिकारियों/कार्मिकों के आवश्यक पद स्वीकृत हैं।

नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान जयपुर संगठनात्मक ढांचा

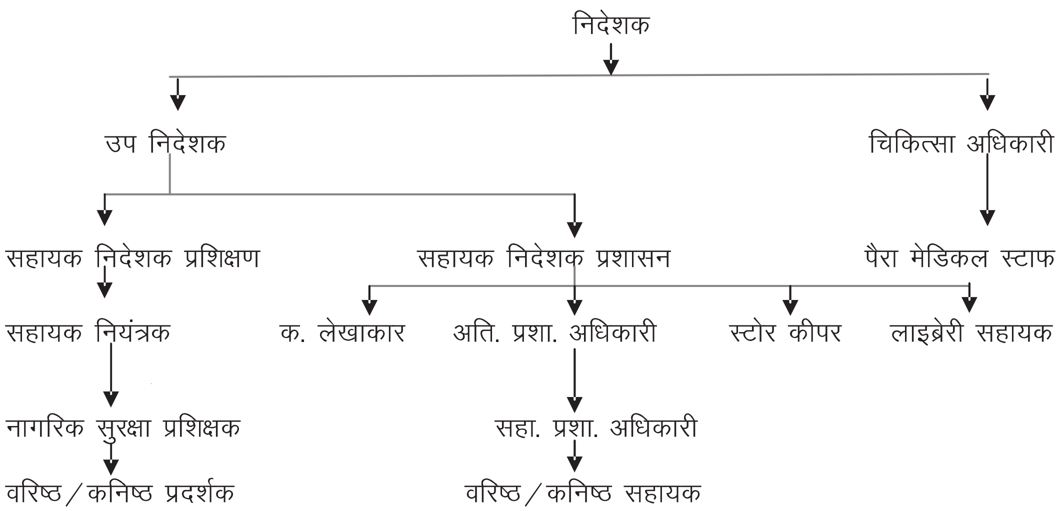

(ग) **जिला नागरिक सुरक्षा कार्यालय**–राज्य के समस्त जिलों में नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के अधीन है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम–1968, सामान्य सिद्धान्त नागरिक सुरक्षा–2003 एवं नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम–2011 के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार अधिकारियों/कार्मिकों के आवश्यक पद स्वीकृत हैं, जो निम्नानुसार है :–

नागरिक सुरक्षा, जिला कार्यालय संगठनात्मक ढांचा

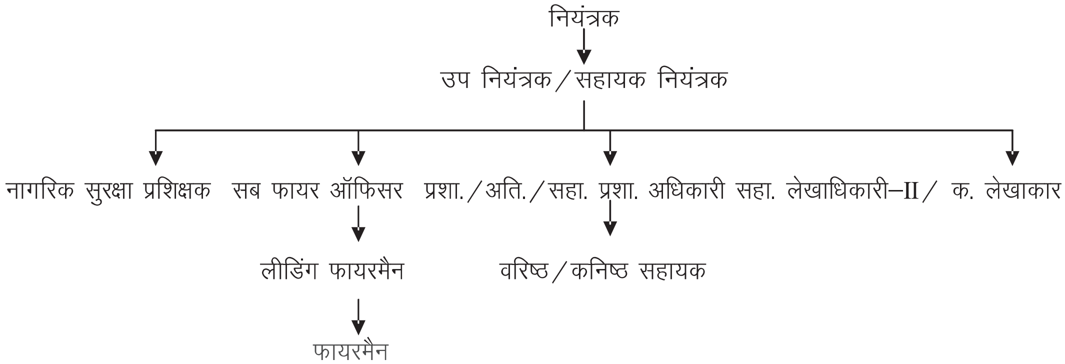

(घ) **नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा** – वर्तमान में राज्य के 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा इकाईयों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित जिले के नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा तथा निदेशालय नागरिक सुरक्षा अग्निशमन इकाई का प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है।

निदेशालय अग्निशमन सेवा, केन्द्र संगठनात्मक ढांचा –

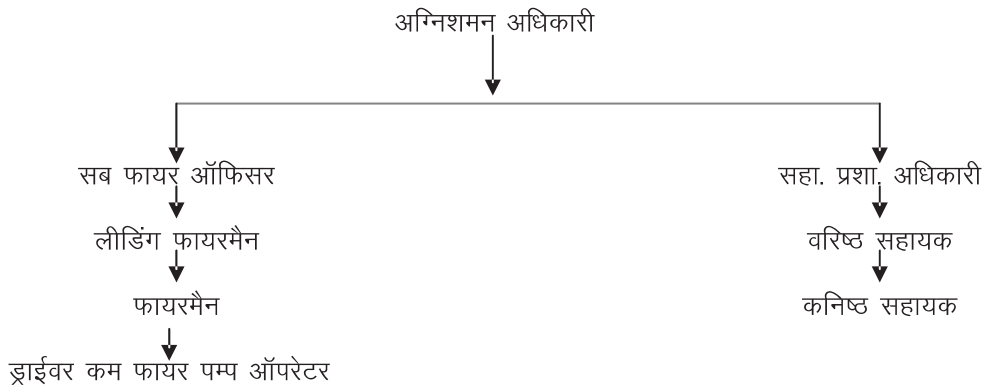

नागरिक सुरक्षा अग्निशमन इकाई कार्यालय का नाम

क.सं.	जिला नाम	नागरिक सुरक्षा अग्निशमन ईकाई
1.	अजमेर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा अजमेर
2.	बीकानेर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा बीकानेर
3.	भरतपुर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा भरतपुर

4.	जयपुर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा जयपुर
5.	जोधपुर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा जोधपुर
6.	कोटा	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा कोटा
7.	उदयपुर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उदयपुर
8.	बाड़मेर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा बाड़मेर
9.	जैसलमेर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा जैसलमेर
10.	श्रीगंगानगर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा श्रीगंगानगर
11.	जालौर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा जालौर
12.	अलवर	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा अलवर
13.	जयपुर	निदेशालय नागरिक सुरक्षा राज. जयपुर

5. **नागरिक सुरक्षा अग्निशमन इकाईयों के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–**

- नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की अग्नि दुर्घटनाओं, नियंत्रण करना तथा राज्य के अन्य जिलों में बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं की स्थिति में निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देशानुसार उपयोग।
- जिलों में नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार, राजकीय समारोहों, सभाओं, मेलों व अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन इत्यादि के दौरान आवश्यक अग्निशमन व्यवस्था के तहत उपयोग।
- संबंधित क्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों, शिक्षण संस्थानों, स्थानीय लोगों को अग्निशमन जन जागरुकता प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल का आयोजन करना।

भाग – 2

6. **<u>नागरिक सुरक्षा निदेशालय</u>**–निदेशालय, नागरिक सुरक्षा राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यालय वर्तमान में10/पी/8/सी, सेक्टर–10, सरकारी डिस्पेन्सरी के पास, विद्याधर नगर,जयपुर पर स्थित है।

विभाग में स्वीकृत/उपलब्ध स्थाई स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है :–

कार्यालय	अधिकृत	उपलब्ध	रिक्त
निदेशालय नागरिक सुरक्षा	37	<u>23</u>	<u>14</u>
अग्निशमन सेवा	155	24	131
नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान	41	09	32
जिला कार्यालय	153	51	102
कुल पद	**386**	**107**	**279**

विभाग में स्वीकृत/उपलब्ध स्थाई स्टाफ

क.सं.	पदनाम	अधिकृत	उपलब्ध	रिक्त
नागरिक सुरक्षा मद 2070–00–106–03–01				
1	निदेशक (आयुक्त)	01	01	–
2	उप निदेशक	01	0	01
3	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	–	01
4	सीनियर स्टाफ आफिसर	02	–	02
5	जूनियर स्टाफ आफिसर	01	–	01
6	उप नियंत्रक	11	01	10
7	सहायक नियंत्रक	21	–	21
8	निरीक्षक रेडियो (तकनीक)	01	–	01
9	उप निरीक्षक रेडियो (आपरेटर)	01	01	–
10	नागरिक सुरक्षा अनुदेशक	37	–	37
11	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	01	01	–
12	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	03	02	01
13	कनिष्ठ लेखाकार	07	07	0
14	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	–
15	संस्थापन अधिकारी	01	01	–
16	प्रशासनिक अधिकारी	03	03	–
17	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	06	06	0
18	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	12	11	01
19	वरिष्ठ सहायक	19	14	05
20	कनिष्ठ सहायक	33	17	16
21	सूचना सहायक	03	01	02

22	वाहन चालक	06	—	06
23	आरक्षी वाहन चालक	03	02	01
24	संदेश वाहक	03	02	01
25	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	33	11	22
26	निदेशक सीडीटीआई	01	—	01
27	उप निदेशक सीडीटीआई	01	—	01
28	मेडिकल ऑफिसर	01	01	0
29	सहायक निदेशक	04	—	04
30	लाईब्रेरी सहायक	01	—	01
31	स्टोर कीपर	01	—	01
32	वरिष्ठ प्रदर्शक	02	—	02
33	कनिष्ठ प्रदर्शक	07	—	07
34	पेरामैडिकल स्टाफ	02	—	02
	योग	**231**	**83**	**148**
नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा मद 2070—00—106—02—00				
1	फायर आफिसर	02	—	02
2	सब फायर आफिसर	06	—	06
3	लीडिंग फायरमैन	20	01	19
4	फायरमैन	112	19	93
5	वाहन चालक	10	01	09
6	आरक्षी	01	—	01
7	सहा प्रशासनिक अधिकारी	01	01	—
8	वरिष्ठ सहायक	01	01	—
9	कनिष्ठ सहायक	01	01	—
10	ड्राईवर कम फायर पम्प ऑपरेटर	01	0	01
	योग	**155**	**24**	**131**
	कुल नफरी का योग	**386**	**107**	**279**

नोटः— नागरिक सुरक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियमों के बनने के पश्चात रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

7. **बुनियादी एवं सेवा प्रशिक्षण वर्ष–2025–26:** राज्य की 33 अधीनस्थ नागरिक सुरक्षा इकाईयों को निम्नानुसार जिलेवार लक्ष्य आवंटित किया गया हैः–

क्र.स.	नागरिक सुरक्षा जिला	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए नामांकन लक्ष्य आवंटन
1	अजमेर	500
2	अलवर	500
3	बाड़मेर	500
4	बांसवाड़ा	500
5	बारां	500
6	बीकानेर	500
7	भरतपुर	500
8	भीलवाड़ा	500
9	बून्दी	500
10	चूरू	500
11	चित्तौड़गढ़	500
12	दौसा	500
13	धौलपुर	500
14	डूंगरपुर	500
15	श्रीगंगानगर	500
16	हनुमानगढ़	500
17	जयपुर	500
18	जालौर	500
19	जैसलमेर	500
20	झालावाड़	500
21	झुन्झुनू	500
22	जोधपुर	500
23	करौली	500
24	कोटा	500
25	नागौर	500
26	पाली	500
27	प्रतापगढ़	500
28	राजसमन्द	500
29	सवाईमोधापुर	500
30	सीकर	500
31	सिरोही	500
32	टोंक	500
33	उदयपुर	500

8. संयुक्त अभ्यास वर्ष–2025–26: स्वतंत्रता दिवस 2025, गणतंत्र दिवस–2026 एवं नागरिक सुरक्षा विभाग स्थापना दिवस दि. 06 दिसम्बर 2025 के अवसर पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवको का ''संयुक्त अभ्यास'' आयोजित किए जाने हेतु निम्नानुसार जिलेवार लक्ष्य आवंटित किया गया हैः–

क्र.स.	नागरिक सुरक्षा जिला	संयुक्त अभ्यास
1	अजमेर	100
2	अलवर	100
3	बाड़मेर	100
4	बांसवाड़ा	50
5	बारां	50
6	बीकानेर	100
7	भरतपुर	100
8	भीलवाड़ा	50
9	बून्दी	50
10	चूरू	50
11	चित्तौड़गढ़	50
12	दौसा	50
13	धौलपुर	50
14	डूंगरपुर	50
15	श्रीगंगानगर	100
16	हनुमानगढ़	50
17	जयपुर	200
18	जालौर	50
19	जैसलमेर	50
20	झालावाड़	50
21	झुन्झुनू	50
22	जोधपुर	100
23	करौली	50
24	कोटा	100
25	नागौर	50
26	पाली	50
27	प्रतापगढ़	50
28	राजसमन्द	50
29	सवाईमोधापुर	50
30	सीकर	50
31	सिरोही	50
32	टोंक	50
33	उदयपुर	100

8. **मल्टी हजार्ड जिले**–भारत सरकार द्वारा संभावित बहु–आपदाओं के मद्देनजर राज्य के 03 जिलों (अलवर, बाड़मेर व जालोर) को मल्टी हजार्ड जिले घोषित किये गये हैं।

9. **जिला ईमरजेंसी ऑपरेशन केन्द्रों पर जिला आपदा त्वरित कार्यवाही दलों की तैनाती** – आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्र क्रमांकः एफ.4(8)आ.प्र./ना.सु/2018/राजकाज/14220889 दिनांक 18.03.2025 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये जिलास्तर पर प्रभावी आपदा प्रबन्धन के तहत, जिला ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टरों (EOC) पर लगातार 24 घंटे (Round the Clock) नागरिक सुरक्षा के आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को प्रथम रेस्पोंडर के रूप में राज्य के समस्त जिलों में जिला त्वरित कार्यवाही दल (DQRT) में **कुल 552** स्वयंसेवक जिला आपदा त्वरित कार्यवाही दल (DQRT) मय बचाव वाहन एवं आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरणों के साथ नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशों में सभी प्रकार की घटना/दुर्घटनाओं में फर्स्ट रेस्पोण्डर के रूप में खोज एवं बचाव कार्य करते हैं।

10. **बाढ बचाव कार्य में नागरिक सुरक्षा स्वयंसवेकों की तैनातीः** आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्र क्रमांकःएफ.8(1)आ.प्र.एवंसहा. /बाढ/2024/राजकाज/ 15586858 दिनांक 03.06.2025 द्वारा मानसून वर्ष–2025 में बाढ की सम्भावना को देखते हुए राज्य के समस्त जिलों में नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की बाढ बचाव टीम दिनांक 15.06.2025 से 30.09.2025 तक जिला स्तरीय बाढ नियंत्रण कक्ष पर लगातार 24 घंटे (Round the Clock) 15 व खोज एवं बचाव टीम में 06 कुल 21 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को दैनिक मानदेय पर तैनात किये जाने हेतु सम्बंधित जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया।

11. **नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की वेतन श्रृंखला 01 से 06 तक रिक्त पदों के विरूद्ध तैनाती** : वित्त (जी एण्ड टी) विभाग की अधिसूचना क्रमांकःएफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी/एसपीएफसी /2022 दिनांक 15.06.2022 एवं आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्र क्रमांकःप.4(17)आ.प्र./ना.सु. /2021/8397–8419 दिनांक 29.06.2022 के क्रम में राज्य में वेतन श्रृखला 01 से 06 तक रिक्त पदों के विरूद्ध केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभाग/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/निगमों को उनकी मांग पर सम्बंधित जिले के नियंत्रक (जिला कलक्टर), नागरिक सुरक्षा के माध्यम से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को निर्धारित दैनिक मानदेय पर उपलब्ध/तैनात किया जा रहा है।

12. **नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षणः—**

i. **जिला स्तर पर** समस्त स्वयंसेवको को 05 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण एवं 05 दिवसीय सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक नागरिक सुरक्षा नगर को गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार विशेष नामांकन अभियान चलाने के अन्तर्गत अधिकाधिक स्वयंसेवक प्रशिक्षित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अनुसरण में प्रत्येक नागरिक सुरक्षा इकाई को न्यूनतम 500 नये स्वयंसेवक नामांकन का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं निदेशालय जयपुर के मध्य MoU हुआ है जिसके अन्तर्गत राज्य की प्रत्येक नागरिक सुरक्षा इकाई को 360 स्वयंसेवको को **''क्षमता l|o)|u'' का 7 दिवसीय** प्रशिक्षण चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 मे दिया जाना है। अतः राज्य की 33 नागरिक सुरक्षा जिला इकाईयों मे प्रति जिला 360 के अनुसार राज्य मे कुल 11880 स्वयंसेवको को ''क्षमता संवर्द्धन'' का प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम चलायमान है।

यह प्रशिक्षण राज्य स्तर पर माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर 2025 मे एस.डी.आर.एफ. कैम्प गाडोता, जयपुर मे **21 दिवसीय क्षमता l|o)|u से प्रशिक्षित** 66 मास्टर ट्रेनर्स नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवको के माध्यम से जिला स्तर पर प्रदान किया जा रहा है।

ii. **राज्य स्तर पर** नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान जयपुर में प्रतिवर्ष स्वयंसेवकों के कौशल विकास एव आपदाओं से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते है। वित्तीय वर्ष 2025—26 में नागरिक सुरक्षा जिलों को 698 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य आंवटित किया गया है, जिसके विरूद्व विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर **कुल 453** स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर एन.डी.आर.एफ. एकेडमी नागपुर एवं सी.टी.आई. बैंगलोर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवको को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण हेतु मनोनीत किया जाता है। वर्ष 2025 में एन.डी.आर.एफ. अकेडमी (राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय) **नागपुर से 75 स्वयंसेवको** एवं नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा अकादमी, **बैंगलोर से 5 स्वयंसेवको अर्थात कुल 80 स्वयंसेवको को** विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है।

iii. उक्त प्रशिक्षण उपरांत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक विभिन्न विभागीय क्रिया–कलापों एवं युद्ध/आपदाओं में फर्स्ट रेस्पोडंर के रूप में अपनी भूमिका के लिये तैयार रहते है।

13. **<u>नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भूमिका/कार्य :</u>**

i. राज्य में आपदा की स्थिति में जान–माल की क्षति को कम करना, खोज एवं बचाव कार्यों के दौरान प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखना।

ii. प्रतिवर्ष मानसून सत्र में राज्य के समस्त जिलों में बाढ की संभावना को देखते हुए बाढ नियंत्रण कक्ष पर खोज एवं बचाव टीम के रूप मे कार्य करना।

iii. जिला स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबन्धन के लिए प्रशिक्षण स्वयंसेवकों को प्रथम रेस्पोण्डर के रूप मे आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरणों/वाहन के साथ जिला आपदा त्वरित दल (DQRT) व राज्य/जिला ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टरों (EOC) पर राउण्ड दी क्लॉक तैनात किया जाता है।

iv. विभिन्न विभागो में 01 से 06 श्रेणी के रिक्त पदों के विरूद्ध कार्य करना।

14. **<u>पुनर्भरण :</u>** राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग (अग्निशमन सेवा को छोड़कर) पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का 25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा राज्य को पुनर्भरण किया जाता है। गत 04 वर्षों में प्राप्त पुनर्भरण राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

Financial Year	Period (Quarter)	Claim Order No.	Amount	Amount received from MHA or Not received
2020-21	04/20 to 3/21	5015-16 dated 31-03-2022	1,51,60,789/-	Received (20/02/2023)
2021-22	04/21 to 03/22	3229-30 dated 18.06.2024	1,62,04,190/-	Received (15/01/2025)
2022-23	04/22 to 03/23	2240 dated 02-04-2024	1,74,86,804/-	Received (20/11/2024)
2023-24	04/23 to 03/24	906 dated 04.03.2025	5,38,95,466/-	Proposal has been sumitted for approval to GOI

15. **वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्ययभार का विवरण :–**

(अ) **नागरिक सुरक्षा मद** 2070–00–106–03–01 में विभिन्न दायित्वों पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिसम्बर–2025 तक राशि रू. 18,51,45,960/– का व्यय किया गया है।

(ब) **अग्निशमन सेवा मद** 2070–00–106–02–00 में विभिन्न दायित्वों पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिसम्बर–2025 तक राशि रू. 4,07,53,610/– का व्यय किया गया है।

16. **प्रशस्ति पत्रः**–नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वंयसेवकों को निम्नानुसार राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रशंसा पत्र/सेवा पदक प्रदान किये गये हैं:–

महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नागरिक सुरक्षा सेवा पदक			DGCD DISC	राज्यस्तर पर प्रशंसा पत्र
शौर्य पदक	विशिष्ट सेवा पदक	सराहनीय सेवा पदक		योग्यता प्रमाण पत्र
–	–	–	01	– .

17. **विभागीय जॉच/निलम्बन का ब्यौरा**–नागरिक सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 01.01.2025 से अब तक विचाराधीन निष्पादित विभागीय जॉच/निलम्बन आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क. सं.	प्रकरण	01.01. 2025 को शेष	01.01.2025 के पश्चात प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष
1.	16 सीसीए	01	0	01	0	01
2.	17 सीसीए	–	01	01	01	–
3.	निलम्बन	–	–	–	–	–

18. **वर्ष 2025–26 में नियुक्ति का विवरण**

(अ) आलौच्य अवधि में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के अन्तर्गत श्रीमती महिमा जोशी को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दी जाकर नागरिक सुरक्षा, चूरू में पदस्थापित किया गया।

(ब) **प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्तिः** राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों मे आवंटित निम्न 9 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान कर उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय मे पदस्थापित किया गयाः–

S.No.	RANK	Candidate & Fathers Name	Sel. Cat.	आंवटित कार्यालय	कार्यग्रहण दिनाक
1	887	MAHENDRA CHOUDHARY/ MADAN LAL CHOUDHARY	GEN_A	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान जयपुर	06.11.2025
2	2201	MANISHA/ CHAINA RAM	GEN_A	नागरिक सुरक्षा, बाड़मेर	10.11.2025
3	2275	DEEPAK KUMAR SHARMA/ VIMAL KUMAR SHARMA	EWS_A	नागरिक सुरक्षा, बांरा	17.11.2025
4	2429	MANISHA CHOUDHARY/ SANWAR MAL CHOUDHARY	GEN_A	नागरिक सुरक्षा, नागौर	06.11.2025
5	2930	SACHIN PANWAR/MOHAN SINGH PANWAR	MBC_A	नागरिक सुरक्षा, दौसा	11.11.2025
6	3119	ADITI KUMAWAT/ LAL CHAND KUMAWAT	OBC_A	निदेशालय नागरिक सुरक्षा जयपुर	06.11.2025
7	3140	SARITA KUMARI/ JIVAN RAM	OBC_A	नागरिक सुरक्षा, झुन्झुनू	06.11.2025
8	3582	POOJA SHARMA/KAILASH CHAND SHARMA	EWS_A	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान जयपुर	06.11.2025
9	5790	PUSHPLATA/ NAND KISHOR	SC_A	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान जयपुर	10.11.2025

19. <u>नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अधिकृत/उपलब्ध संख्या</u>

क्र. सं.	जिले का नाम	जनसंख्या–2011	20 प्रतिशत वृद्धि	योग जनसंख्या	अधिकृत संख्या	उपलब्ध	शेष आवश्यकता (6–7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	2583052	516611	3099663	3100	882	2218
2.	अलवर	3674179	734836	4409015	4410	419	3991
3.	बारां	1222755	244551	1467306	1468	36	1432
4.	बाड़मेर	2603751	520751	3124502	3125	1145	1980
5.	बांसवाड़ा	1797485	359497	2156982	2157	75	2082
6.	बीकानेर	2363937	472788	2836725	2837	454	2383
7.	बूंदी	1110906	222182	1333088	1334	198	1136
8.	भरतपुर	2548462	509693	3058155	3059	485	2574
9.	भीलवाड़ा	2408523	481705	2890228	2891	488	2403
10.	चूरू	2039547	407910	2447457	2448	568	1880
11.	चितौड़गढ़	1544338	308868	1853206	1854	77	1777
12.	डूंगरपुर	1388552	277711	1666263	1667	79	1588
13.	दौसा	1634409	326882	1961291	1962	27	1935
14.	धौलपुर	1206516	241304	1447820	1448	**36**	1412
15.	श्रीगंगानगर	1969168	393834	2363002	2364	805	1559
16.	हनुमानगढ़	1774692	354939	2129631	2130	78	2052
17.	जयपुर	6626178	1325236	7951414	7952	1036	6916
18.	जैसलमेर	669919	133984	803903	804	140	664
19.	जोधपुर	3687165	737433	4424598	4425	561	3864
20.	जालोर	1828730	365746	2194476	2195	69	2126

21.	झुन्झुनू	2137045	427409	2564454	2565	388	2177
22.	झालावाड़	1411129	282226	1693355	1694	134	1560
23.	कोटा	1951014	390203	2341217	2342	214	2128
24.	करोली	1458248	291650	1749898	1750	877	873
25.	नागौर	3307743	661549	3969292	3970	199	3771
26.	पाली	2037573	407515	2445088	2446	52	2394
27.	प्रतापगढ़	867848	173570	1041418	1042	196	846
28.	राजसमंद	1156597	231320	1387917	1388	203	1185
29.	सिरोही	1036346	207270	1243616	1244	346	898
30.	सीकर	2677333	535467	3212800	3213	283	2930
31.	सवाईमाधोपुर	1335551	267111	1602662	1603	390	1213
32.	टोंक	1421326	284266	1705592	1706	27	1679
33.	उदयपुर	3068420	613684	3682104	3683	290	3393
कुल योग :		**68548437**	**13709688**	**82258125**	**82276**	**11257**	**71019**

नोटः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र कमांकःV-14024/02/2022-DGCD(CD) दिनांक 09.05.2025 के अनुसार नागरिक सुरक्षा जिले में 1000 की जनसंख्या पर एक (01) नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाये जाने का उल्लेख है, जिसके अनुसार जिले की कुल जनसंख्या की गणना के आधार पर तालिका के कॉलम सं. 6 में अधिकृत संख्या निर्धारित की गई है।

20. संचारः भारत सरकार द्वारा राज्य के जिलों को हवाई हमले की दृष्टि से हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली से जोड़ा गया है। हवाई हमला चेतावनी प्रणाली के तहत बाह्य चेतावनी प्रणाली (वायु सेना नियंत्रण केन्द्र एवं क्षेत्रीय नियंत्रण केन्द्र से द्वितीय/टाउन नियंत्रण केन्द्र तक) पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का भुगतान भारत सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता है।

21. **विभागीय वाहन :** नागरिक सुरक्षा विभाग (नागरिक सुरक्षा मद व अग्निशमन मद) में कुल 116 वाहन उपलब्ध है,जिनकी मदवार स्थिति/विवरण निम्नानुसार है :–

नागरिक सुरक्षा मद				
क्र. सं.	वाहन का प्रकार	संख्या	नाकारा योग्य	ऑन रोड
1.	ट्रक (खोज एवं बचाव वाहन)	10	01	09
2.	बोलेरो केम्पर (खोज एवं बचाव वाहन)	33	0	33
3.	एम्बूलेंस	01	01	0
4.	कार्यालय वाहन (जीप/कार)	11	03	08
5.	मोटर साईकिल/स्कूटी/स्कूटर	31	01	30
कुल वाहन		**86**	**06**	**80**

अग्निशमन मद				
क्र. सं.	वाहन का प्रकार	संख्या	नाकारा योग्य	ऑन रोड
1	फायर टेण्डर	23	11	12
2	मोटर साइकिल	07	0	07
कुल वाहन		**30**	**11**	**19**